



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ...क्र.वि./जम् ०/2०/2/05-14

दिनांक...०३-१-२०१२

सेवा में,

प्रबंधक,

पं० वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ एजुकेशन,

झाँसी

विषय :- पं० वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ एजुकेशन, झाँसी को कल संकाय में स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि पं० वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ एजुकेशन, झाँसी को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन के पत्र संख्या सम्ब०-144/सत्तर-2-2010-2(144)/2010 दिनांक 24/6/2010 के द्वारा परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 1/7/2010 से शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गयी है :-

“घोषित परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010-11 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता(स्थायी) की पूर्वानुमति मानते हुये दिनांक 1/7/2010 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता(स्थायी) आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्सम शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।”

उक्त प्रकरण को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19/11/2011 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19/11/2011 के मद्द नंख्या 5 में लिये गये निर्णयानुसार पं० वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ एजुकेशन, झाँसी को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एड० पाठ्यक्रम में दिनांक 1/7/2010 से स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

दिनांक.....

संदर्भ.....

(2)

2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय
(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2,, उ० प्र० शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उ० प्र० इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
4. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ।
5. बेब मास्टर उच्च शिक्षा विभाग उ० प्र० शासन, लखनऊ।
6. निजी सचिव मा० उच्च शिक्षा मंत्री। *लालनरु*
7. श्री दीपक तोमर सिस्टम एनालिस्ट।
8. समाजकलल्यण अधिकारी *श्री. रम*
9. आदेश पंजिका।

कुलसचिव



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ : क्र. वि. / लख. 0 / 2012 / 482 -91

दिनांक : 01-05-12

सेवा में,

प्रबंधक,

पं० वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ एजुकेशन,
झाँसी

विषय :- पं० वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ एजुकेशन, झाँसी को शिक्षा संकाय में स्थायी
सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या बु०वि०/सम्ब०/2012/05-14 दिनांक
03/01/2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि पं० वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ
एजुकेशन, झाँसी को शिक्षा संकाय में स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में सूचित है कि उक्त पत्र में अंकित विषय ने टंकण त्रुटिवश शिक्षा संकाय
के स्थान पर कला संकाय टंकित हो गया था जिसका संशोधित करते हुये शिक्षा संकाय पढ़ा और
समझा जाय। पत्र की शेष शर्तें/प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2,, उ० प्र० शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उ० प्र० इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
4. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ।
5. बेब मास्टर उच्च शिक्षा विभाग उ० प्र० शासन, लखनऊ।
6. निजी सचिव मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उ० प्र० लखनऊ।
7. श्री दीपक तोमर सिस्टम एनालिस्ट।
8. समाजकल्याण अधिकारी झाँसी
9. आदेश पंजिका।